

आकाशवाणी चंडीगढ़

1 अगस्त 2025, समय 1810

मुख्य समाचार :-

1. निर्वाचन आयोग ने आज देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की।

2. हरियाणा मंत्रिमंडल ने महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रुप बी सेवा नियम, 1997 में प्रमुख संशोधनों को मंजूरी दी।

3. हरियाणा विधानसभा का आगामी सत्र 22 अगस्त को बुलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने मालेगांव विस्फोट में एनआईए की विशेष अदालत के फैसले का स्वागत किया।

4. पलवल और फरीदाबाद सहित हरियाणा में कई जगह मॉक ड्रिल सुरक्षा चक्र का आयोजन किया गया।

5. आज विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस पर लोगों को कैंसर के बारे जागरूक किया गया।

निर्वाचन आयोग ने आज देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव 9 सितंबर को होंगे और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त होगी। और जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता के पास

पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव आवश्यक हो गया है। यह 17वां उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। चुनाव की अधिसूचना इस महीने की 7 तारीख को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाएगी और इच्छुक उम्मीदवार इस महीने की 21 तारीख तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि इस महीने की 25 तारीख होगी। मतगणना 9 सितंबर को होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

हरियाणा मंत्रिमंडल की आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रुप बी सेवा नियम, 1997 में प्रमुख संशोधनों को मंजूरी दी गई।

इन संशोधनों में पदों के नामकरण, वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन तथा विभागीय सेवा नियमों में नवसृजित पदों को शामिल करना सम्मिलित है।

हमारे संवाददाता ने बताया कि पूर्व सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार, बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और कार्यक्रम अधिकारी (महिला) के पदों का आधिकारिक नाम बदलकर क्रमशः महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला) किया गया है। इसे दर्शाने हेतु विभागीय नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, विभागीय सेवा नियम, 1997 के नियम 14 को हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम, 1987 के स्थान पर संशोधित 2016 नियमों से प्रतिस्थापित किया गया है।

चरखी दादरी जिले के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं अधीक्षक, तथा पपलोहा स्थित पंजीरी सयंत्र के प्रबंधक सहित नवसृजित पदों को भी सेवा नियमों में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा नियमों में वेतनमानों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किया गया है।

भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से, हरियाणा लोक सेवा आयोग की आपत्तियों के बाद महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) पद हेतु 50% कोटे के साथ दो अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताओं के प्रावधान को हटा दिया गया है।

इसी प्रकार, उप निदेशक पद पर सीधी भर्ती के लिए यूजीसी-नेट उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है।

हरियाणा विधानसभा का आगामी सत्र 22 अगस्त से बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सत्र की अवधि का निर्णय कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लिया जाएगा।

आज मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए अन्य अहम निर्णयों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के प्रति सरकार पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपराधियों से निपटने के लिए मौके पर उचित निर्णय लें।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ दुष्प्रचार करने में माहिर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना लागू करें हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है और इसके लिए शीघ्र पोर्टल भी जारी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की जाएगी, जिससे लाखों किसानों के खातों में सीधा पैसा पहुंचेगा

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने 2008 के मालेगांव विस्फोट में सभी आरोपियों को बरी करने के एनआईए की विशेष अदालत के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने देश में भगवा आतंकवाद का झूठा माहौल बनाने के कांग्रेस के षडयंत्र की आलोचना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वोट बैंक के लिए रचा गया सुनियोजित राजनीतिक षडयंत्र अब धराशायी हो गया है।

हरियाणा के कैथल जिले में आज जिला स्तरीय वन महोत्सव के तहत पौधरोपण किया गया।

आज पलवल में हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में मॉक ड्रिल अभ्यास 'सुरक्षा चक्र' का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ जिला से फायर ब्रिगेड, पुलिस, एनसीसी, एनएसएस, स्वास्थ्य विभाग समेत सिविल डिफेंस वालंटियर ने भाग लिया।

फरीदाबाद में भी आज 'सुरक्षा चक्र' मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस व्यापक अभ्यास का नेतृत्व उपायुक्त विक्रम सिंह ने किया, जबकि एडीसी सतबीर मान व जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा ने इसकी निगरानी की। मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य संभावित आपदा की स्थिति में विभागों की तत्परता, तालमेल और प्रतिक्रिया क्षमता का मूल्यांकन करना था।

आज विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस पर अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल, के अटल कैंसर केयर सेंटर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. जितेंद्र सिंह चौहान ने बताया -

उन्होंने जोर देकर कहा कि धूम्रपान से दूर रहना, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाना इस बीमारी से बचाव में अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकते हैं।
